सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2018-2019

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018—19

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का उद्देश्य	1
3	संरचना	1–2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	2
5	कार्य प्रणाली	2–3
6	कार्मिकों का चयन	3–4
7	मुखबिरों / सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	4
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान	5
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	5–6
10	चालू वित्तीय वर्ष(01.04.2018 से 31.12.2018) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	7
11	आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	9
12	सार संक्षेप	9
13	प्रशासनिक संरचना (सारणी–1)	10
14	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2018 तक (सारणी–2)	11
15	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी–3)	12

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19

1. *प्रस्तावना*

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्त्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं।

2. *उद्देश्य*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अन्तर्राजीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. *संरचना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय है जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में निदेशालय में 2 पद अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में क्रमशः दो–दो पद वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के हैं तथा तीन–तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनि. वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक–एक पद वित्तीय सलाहकार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोगामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोगामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II,

निजी सचिव, सहायक खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू–अभिलेख, क्लर्क ग्रेड– I एवं पटवारी का है। कर सहायक के 5, क्लर्क ग्रेड– II के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित है।

परिवहन विभाग के आदेश संख्या 3934 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के प्रतिनियुक्ति के पद को समाप्त कर दिया जाने से निदेशालय में स्वीकृत पदों की संख्या 67 के स्थान पर 66 रह गई है।

निदेशालय में पदस्थापित वाणिज्यिक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, खनिज अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी एवं तहसीलदार का पदनाम राजस्व आसूचना अधिकारी है। निदेशालय का संगठन चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नही है। विभाग में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। गैर आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू. 306.11 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व माह दिसम्बर, 2018 तक राशि रू. 278.09 लाख का व्यय किया गया। आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू. 5.50 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व माह दिसम्बर, 2018 तक राशि रू. 0.00 लाख (शून्य) का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यो की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, तथा इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय को प्राप्त सूचनाओं / शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. को एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक आवंटित किया जाता है। सामान्यतः पी.आई.आर. प्राप्ति तिथि को ही निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर अपडेट कर दी जाती है। प्रत्येक पी.आई.आर. का पृथक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पी.आई.आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है। दर्ज की गई पी.आई.आर. का वर्गीकरण सामान्य अथवा महत्त्वपूर्ण श्रेणी में निदेशालय के स्तर पर किया जाता है। कुछ पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, उनमें निदेशालय अपने स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही करता है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक–पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, ताकि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें, तथा की गई विभागीय कार्यवाही से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में स्टेटस की जानकारी निदेशालय की वेब साईट को लॉगईन करके देख सकता है।

निदेशालय के नये वेब पोर्टल को State Data Center में host करा दिया गया है। निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा नये पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज करने व निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6. *कार्मिकों का चयन*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं। निदेशालय

में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% की राशि का विशेष भत्ता भी देय है।

7. मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कर अपवंचना की सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये, आमजन को कर अपवंचना की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये एक स्कीम''Grant of Reward to Informer and Government Servants Scheme, 2017" बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाई गई सूचना के महत्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सूचनादाता की सूचना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व राशि का अधिकतम 12 प्रतिशत तक अथवा प्रति प्रकरण अधिकतम 25.00 लाख रू. तक जो भी कम है निर्धारित की गई है। यह राशि उन प्रकरणों में ही देय है जहॉ राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व की राशि रू. 2.00 लाख या इससे अधिक होगी। स्कीम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

इस स्कीम के तहत् राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियो/ कर्मचारियो को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियो को देय होगी, जिनका राजस्व वंचना के प्रकरणो को उजागर करने में विशिष्ट योगदान होगा एवं इस तरह के प्रकरणो में अविवादास्पद राजस्व प्राप्ति एक करोड रू. या अधिक होगी। व्यक्तिशः यह राशि एक प्रकरण में अधिकतम रू. 50,000/– एवं टीम के रूप में कार्य करने पर टीम को अधिकतम प्रति प्रकरण रू. 2.00 लाख तक होगी। इस प्रकार से दी गई राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम रू.10.00 लाख तक सीमित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 2018 तक सूचनादाताओ को राशि रू. 0.80 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा करापवंचना के संबध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जाँच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. पूर्व तीन वित्तीय वर्षो के कार्यो का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण

पूर्व 3 वित्तीय वर्षो 2015–18 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018) में 435 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 95 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 2099.61 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि लगभग रू. 139.29 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018) में 103 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 16 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 19.62 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि लगभग रू. 1.59 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्व 3 वित्तीय वर्षो 2015–18 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018) में 737 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 468 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 191.63 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 49.91 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.12.2018) में 111 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 43 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 49.80 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि लगभग रू. 3.33 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षो 2015–18 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.12.2018 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

(राशि रू लाख में)

क. सं.	विभाग का नाम	1.04.2015 से 31.03.2018 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण						1.04.2018 से 31.12.2018 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		1.04.2015 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई. आर. की संख्या	शेष पी. आई.आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)	1.04.2018 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई. आर. की संख्या	शेष पी. आई.आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	84	329	266	147	12857.11	4228.05	147	55	18	184	169.77	10.73
2	परिवहन विभाग	24	33	23	34	179.77	114.81	34	10	3	41	266.93	266.93
3	आबकारी विभाग	5	28	27	6	6.80	6.80	6	4	1	9	28.51	28.51
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	55	225	65	215	967.61	198.23	215	33	19	229	4486.05	14.16
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	55	101	67	89	5152.40	443.56	89	9	2	96	29.33	12.88
6	अन्य	0	21	20	1	0.00	0.00	1	0	0	1	0.00	0.00
	कुल	**223**	**737**	**468**	**492**	**19163.69**	**4991.45**	**492**	**111**	**43**	**560**	**4980.59**	**333.21**
		1.04.2015 से 31.03.2018 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण						**1.04.2018 से 31.12.2018 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण**					
1	वाणिज्यिक कर विभाग	22	140	15	147	201318.37	11677.17	147	53	3	197	1876.01	31.91
2	परिवहन विभाग	09	31	12	28	653.03	309.36	28	6	0	34	22.25	22.25
3	आबकारी विभाग	0	5	2	3	0.00	287.12	3	1	2	2	0.25	8.84
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	53	236	62	227	5392.00	1576.41	227	43	11	259	64.32	96.80
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	16	22	3	35	2597.98	78.95	35	0	0	35	0.00	0.00
6	अन्य	0	1	1	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	कुल	**100**	**435**	**95**	**440**	**209961.38**	**13929.01**	**440**	**103**	**16**	**527**	**1962.83**	**159.80**
	समस्त विभाग (पी.आई.आर.+ स्वप्रेरित)	**323**	**1172**	**563**	**932**	**229125.07**	**18920.46**	**932**	**214**	**59**	**1087**	**6943.42**	**493.01**

10. चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2018 से 31.12.2018) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2018 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.12.2018 तक) क्रमशः 162 एवं 103 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 1777.44 करोड़ तथा रू. 19. 62 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 111.54 करोड़ तथा रू. 1.59 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2018 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.12.2018 तक) क्रमशः 139 एवं 111 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 103.12 करोड़ तथा रू. 49.80 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 37.16 करोड़ तथा रू. 3.33 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2017–18 में (01.04.2017 से 31.03.2018 तक) कुल 301 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 1880.56 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 148.70 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में (01.04.2018 से 31.12.2018 तक) कुल 214 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 69.43 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 4.93 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलोच्य अवधि में 59 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल

वाणिज्यिक कर विभाग

मैसर्स एशियन कलर कोटेड प्रा. लि. भिवाड़ी के विरूद्ध सर्कुलर ट्रेडिंग से संबंधित प्ररकण का अनुसंधान किया जाकर राशि रू. 743.31 करोड़ की मांग कायम की गई।

मैसर्स लाईकोस इण्डिया प्रा. लि. के द्वारा विभिन्न वर्षो में कुल राशि रू. 44.57 करोड़ की बिक्री को दस्तावेजों में दर्ज किये बिना किये जाने से संबंधित प्रकरण जिसमें राशि रू. 7. 76 करोड़ की मांग राशि कायम की गई है।

मैसर्स नितिन स्पीनर्स के द्वारा द्वारा अविधिक आईटीसी क्लेम किये जाने से संबंधित प्रकरण जिसमें राशि रू. 10.58 करोड़ रूपये की मांग कायम की गई है।

मैसर्स लोनी ईम्पेक्स के विरूद्ध वाहनों पर चीन से आयातित लगभग राशि रू. 2 करोड़ की नम्बर प्लेट पर 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत से कर वसूल किये जाने से संबंधित प्रकरण बनाया गया।

मैसर्स एस.वी.एम इण्डस्ट्रीज के विरूद्ध रू. 10 करोड़ राशि का राज्य के बाहर ब्रांच ट्रांस्फर किया जाकर इस पर अविधिक रूप से आईटीसी प्राप्त किये जाने से संबंधित प्रकरण बनाये गये।

महाराजा उम्मेद मील लिमिटेड के द्वारा 10.56 करोड़ की राशि का माल आग में नष्ट होने के उपरान्त इस राशि पर न केवल अविधिक आईटीसी क्लेम की गई बल्कि बीमा कम्पनी

से भी नुकसान की भरपाई की गई के विरूद्ध कर अपवंचना का प्रकरण बनाया जा कर आई. टी.सी रिवर्स की गई।

परिवहन विभाग

वित्तीय वर्ष में 2018–19 में कुल 13 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 1 कन्टेनर डिपों में संचालित अवैध वाहनों, 5 विभिन्न कन्स्ट्रेक्शन कम्पनियों में संचालित अवैध वाहनों से, 1 ओवरलोड वाहनों से सम्बन्धित, 3 फाईनेन्स कम्पनियों के यार्डो में जब्त बिना कर चुकाये वाहनों से सम्बन्धित, 1 अन्य राज्य में पंजीकृत बिना कर चुकाये संचालित कार से सम्बन्धित, 2 राजस्थान राज्य के विभिन्न एयरपोर्टो पर बिना कर चुकाये अवैध रूप से संचालित वाहनों से सम्बन्धित है।

NBFC कम्पनियों के विरूद्ध 3 महत्वपूर्ण प्रकरण बनाये गये, जिनमें 271 व्यावसायिक वाहन बिना पथकर भुगतान के कम्पनियों के परिसरों में खडे पाये गये। उनके विरूद्ध करापवंचना सम्बन्धी प्रकरण बनाये जाकर कार्यवाही की गई।

जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन एरिया मे संचालित इण्डिगो एयरलांइस, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एयरलांइस, एयर इण्डिया एवं इण्डोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 108 वाहन बिना पंजीकरण के (जिनमें 5 पेसेन्जर बसें भी शामिल थी) संचालित पाये गये। साथ ही 16 ऐसे वाहन पाये गये जो कि अन्य राज्यों में पंजीकृत थे तथा बिना राजस्थान राज्य का कर चुकाये संचालित थे। इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई, जिससे लगभग 1.64 करोड रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है। इसी तर्ज पर राज्य के अन्य एयरपोर्टो पर कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को लिखा गया। इस क्रम में विभाग द्वारा उदयपुर एयरपोर्ट पर बिना कर चुकाये संचालित 17 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिससे लगभग 70 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

राज्य की 5 विभिन्न कम्पनियों द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण/अन्य निर्माण कार्यो में उपयोग लिये जा रहे अपंजीकृत वाहनों/अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के पथकर के दायित्व से सम्बन्धित करापवंचना से सम्बन्धित प्रकरण बनाये गये।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

अनुसूचित बैंको द्वारा राज्य के 7 प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण के तहत इन्टर बैंक लॉन एग्रीमेन्ट, कन्सोर्टियम एग्रीमेन्ट आदि पर लगभग 43.16 करोड़ की राशि का मुद्रांक शुल्क अपवंचन के प्रकरण बनाये गये।

पूर्व में बनाये गये इसी प्रकार के एक प्रकरण में उपमहानिरीक्षक, जयपुर प्रथम द्वारा राशि रू. 10.49 करोड़ की मांग कायम की गई।

इसी प्रकार पूर्व में बनाये गये एक प्रकरण, नेटवर्क सेवा प्रदाता कम्पनियों के आपस में विलयीकरण पर उपमहानिरीक्षक जयपुर द्वितीय द्वारा राजस्थान में मुद्रांक शुल्क के रूप में देय राशि रू. 43.50 करोड़ की मांग कायम की गई।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

वित्तीय वर्ष 2017–18में डूंगरपुर जिले में बजरी के अवैध खनन, बीकानेर, जयपुर जिले में मुरड मिटटी और सोप स्टोन के अवैध खनन, उदयपुर, राजसमंद जिले में फेल्सपार के अवैध खनन से संबंधित 13 पीआईआर दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 30.11.2018 तक बीकानेर जिले में ग्रेवल, मुरर्म के रायॅल्टी टोल नाकों द्वारा रॉयल्टी अपवंचन से संबंधित, इसके अलावा उदयपुर एवं सीकर में मार्बल तथा जयपुर में मैशनरी स्टोन के अवैध खनन से संबंधित 8 पीआईआर दर्ज की गई जिसमें राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

आबकारी विभाग

पैसिफिक स्प्रिट्स लि0 द्वारा लाईसैंस का विक्रय बिना सक्षम पूर्व अनुमति के यूनाईटेड ब्रेवरीज लि0 को किये जाने संबंधित परिवाद की अग्रिम जांच हेतु आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को पत्र लिखा गया ।

आबकारी जिला बांसवाडा के आबकारी थाना कुशलगढ क्षेत्र में अवैध मदिरा का कारोबार करने वाले व्यक्तियों की सूचना दी गई । एसडीआरआई की सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने दो अभियोग क्रमशः 3 एवं 4 दिनांक 07.04.2018 पंजीकृत किये ।

आबकारी जिला अजमेर में संचालित रजवाडा ब्रेवरीज का दिनांक 08.07.2018 को एसडीआरआई की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया जिसमें अनियमितता पाये जाने पर 28 लाख रूपये से अधिक की राशि उक्त फर्म से राज्यकोष में जमा करवाई गई । परमिट फीस, मार्जिन मनी एवं वैट की राशि बाद गणना वसूल की जानी है ।

उल्लेखनीय कार्य

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 में समाहित करने हेतु आवश्यक सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित किये गए जिसे राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वित्त विधेयक 2018 द्वारा समाहित किया गया।

स्वप्रेरित प्रकरण में जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन एरिया मे संचालित इण्डिगो एयरलांइस, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एयरलांइस, एयर इण्डिया एवं इण्डोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। देश में यह सम्भवतया इस तरह की प्रथम कार्यवाही है। इसी तर्ज पर देश व प्रदेश में संचालित अन्य एयरपोर्टो पर उपयोग मे लिये जा रहे वाहनों की जॉच कराये जाने हेतु श्रीमान महानिदेशक नागरिक उड्डयन व सम्बन्धित राज्यो के परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखे गये।

12. *सार संक्षेप*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

सारणी–1

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

प्रशासनिक संरचना

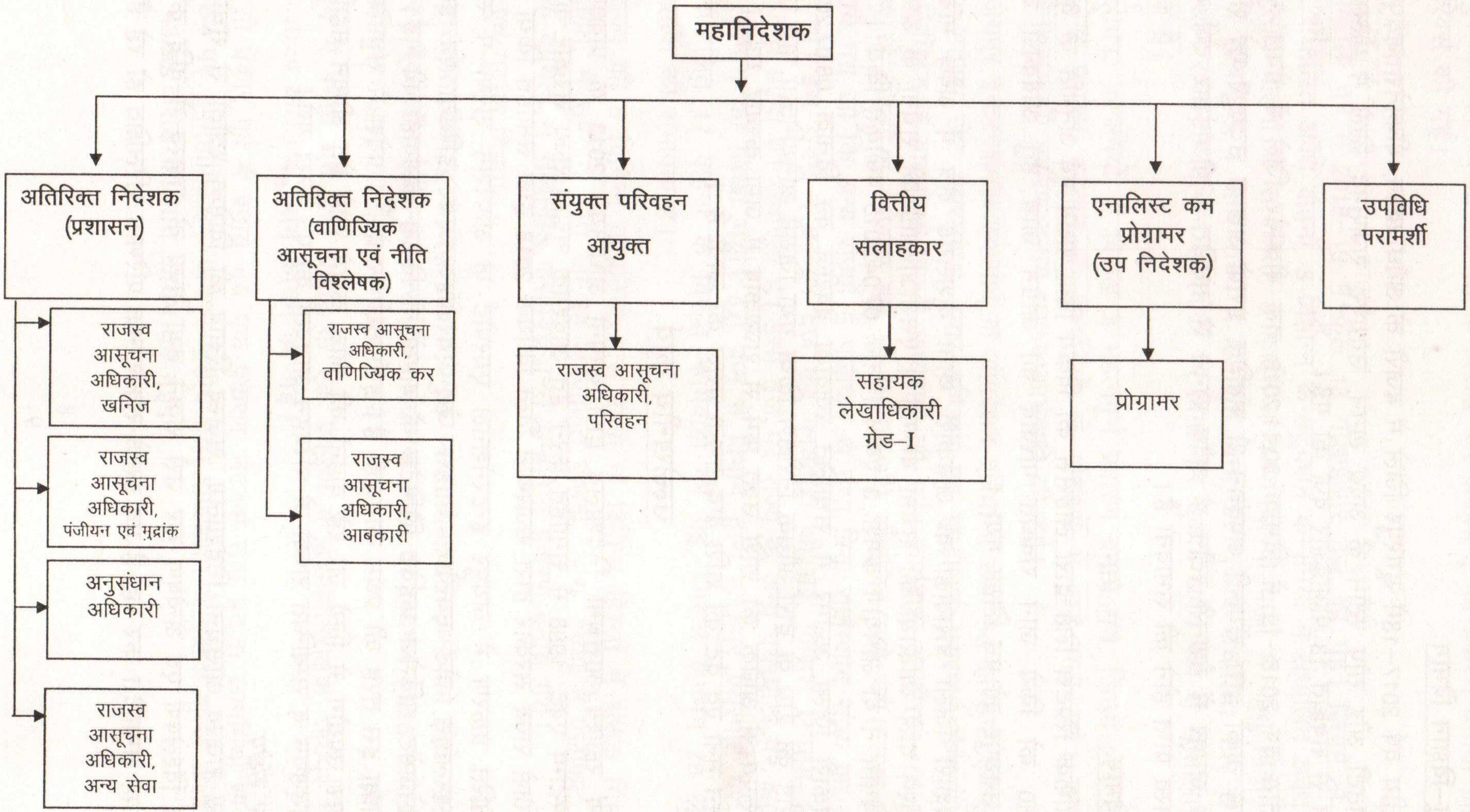

सारणी – 2

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2018 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिदेशक	1	1	-
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	-	1
3.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	1	1
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	1	2
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	1	2
8.	कर सहायक	5	2	3
9.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	1	-
10.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	2	-
11.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	1	1
12.	जिला आबकारी अधिकारी	2	-	2
13.	आबकारी निरीक्षक	2	-	2
14.	खनि अभियन्ता	2	-	2
15.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1
16.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1
17.	फोरमेन	1	-	1
18.	खनिज रक्षक	1	-	1
19.	तहसीलदार	2	-	2
20.	निरीक्षक भू–अभिलेख	1	1	-
21.	पटवारी	1	1	-
22.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	-
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	-
24.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-
25.	प्रोग्रामर	1	1	-
26.	सहायक प्रोग्रामर	2	2	-
27.	निजी सचिव	1	1	-
28.	निजी सहायक	2	1	1
29.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-
30.	उपविधि परामर्शी	1	-	1
31.	निरीक्षक सहकारिता	3	1	2
32.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
33.	क्लर्क ग्रेड–I	1	1	-
34.	क्लर्क ग्रेड–II	2	1	1
35.	वाहन चालक	3	3	-
36.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6	0
37.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	1	2
38.	**कुल योग**	**66**	**35**	**31**

सारणी – 3

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री संजीव (आई.आर..एस.)	महानिदेशक	2744781	2744755	9530401000
2.	श्रीमती रश्मि गुप्ता (आई.ए.एस)	अति. निदेशक (प्रशासन)	2740889	2761315	9414373149
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	अति. निदेशक, कर	2744841		9414066444
4.	श्री नानूराम चोयल	संयुक्त परिवहन आयुक्त			9414019355
5.	श्री दिनेश कुमार विजय	ए.सी.पी.			9414255201
6.	श्री राजेश असवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2235404	9414349414
7.	श्री मुकेश वर्मा	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2504378	9636598994
8.	श्री मोहम्मद इरफान	अनुसंधान अधिकारी			9784806532
9.	श्री संजीव गुप्ता	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			8003099901
10.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
11.	श्री रजत माथुर	मोटर वाहन निरीक्षक			9413341717
12.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर			9462064965
13.	श्री सुभाष चन्द जैन	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–I			9828470939
14.	श्री दाताराम वर्मा	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II			9461047397

PABX - 2744963/Toll Free No. 1800 180 6292
Fax No. 0141-2744841

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

डी–ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

ई मेल sdri@rajasthan.gov.in

फैक्स नंबर 0141–2744841

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर